CSNSW के पीड़ित लोगों का(विक्टिम्स) रजिस्टर तथ्य पत्रक

क्या आप ऐसे अपराधी के शिकार हुए हैं जो सजा काट रहा /रही है?

क्या आप करना यह चाहते/ चाहती हैं:

- यह जानना कि अपराधी को कब रिहा किया जाएगा या अगर वे अपनी सज़ा के दौरान भाग जाते/ जाती हैं या मर जाते /जाती हैं?
- उनकी पैरोल रिहाई (यदि पात्र हो) के बारे में अपनी बात कहना चाहते/ चाहती हैं?

यदि आपने इनमें से किसी एक का उत्तर 'हाँ' में दिया है, तो विक्टिम्स रजिस्टर आपकी सहायता कर सकता है।

सुधारात्मक सेवाएँ NSW विक्टिम्स रजिस्टर क्या है?

विक्टिम्स रजिस्टर उन वयस्क अपराधियों के बारे में कुछ जानकारी साझा कर सकता है जो न्यू साउथ वेल्स में सज़ा काट रहे हैं जहाँ आप पीड़ित जन हैं।

हमारे साथ पंजीकरण करने से, हम आपको समय पर जानकारी दे सकते हैं जो अपराधी की रिहाई होने पर आपकी योजना बनाने की क्षमता में सहायक हो सकती है। इस कठिन समय में हमारे कर्मचारी आपको सहयोग देंगे।

पंजीकरण कौन कर सकता है?

विक्टिम्स रजिस्टर में नाम लिखवाने के लिए, आपको और अपराधी को नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करना होगा।

आप अवश्य ही:

- किसी अपराध का प्रत्यक्ष शिकार हैं; *या*
- अपराध से मरने वाले प्रत्यक्ष पीड़ित के परिवार का तत्काल सदस्य; *या*
- प्रत्यक्ष पीड़ित की प्राथमिक देखभाल करने वाले/ वाली हैं, यदि पीड़ित की आयु वर्तमान में 18 वर्ष से कम है या वह कानूनी रूप से अक्षम है।

अपराधी अवश्य ही:

- एक वयस्क अपराधी होना चाहिए, जो आपके, परिवार के किसी मृत सदस्य या आपकी देखभाल में किसी व्यक्ति के साथ हुए अपराध के लिए सजा काट रहा/ रही है।

इसका मतलब है, उन्हें CSNSW (हिरासत में या पैरोल पर) की देखरेख में होना चाहिए, भले ही:

- अपराधी को राष्ट्रमंडल या ऑस्ट्रेलिया के अन्य राज्यों और क्षेत्रों के आपराधिक कानून के तहत सजा सुनाई जाती है;
- अपराध दूसरे राज्य/क्षेत्र में हुआ है;
- आप दूसरे राज्य/क्षेत्र में हैं;
- अपराधी कुछ समय से सजा काट रहा/ रही है;
- अपराधी पहले ही पैरोल पर रिहा हो चुका/ चुकी है।

यदि आप उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तब भी हम आप के बारे में विचार कर सकते हैं यदि आप हमें दिखा सकते हैं कि:

- अपराध से संबंधित होने के कारण आपकी शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

हम आपको क्या जानकारी दे सकते हैं?

हम आपको बता सकते हैं:

- अपराधी की सजा का विवरण;
- अपराधी का सुरक्षा वर्गीकरण और हिरासत में स्थान;
- अगर अपराधी की पैरोल रद्द कर दी जाती है;
- अगर अपराधी हिरासत से भाग जाता/ जाती है;
- यदि अपराधी सजा काटते समय मर जाता/ जाती है;
- कि अपराधी को रिहा कर दिया जाएगा;
- कि अपराधी के पैरोल या अनुरक्षण अवकाश (यदि पात्र हो) के लिए विचार किया जाएगा; तथा
- पैरोल या अनुरक्षित छुट्टी के लिए प्रस्तुतिकरण कैसे करें।

CSNSW के पीड़ित लोगों का(विक्टिम्स) रजिस्टर तथ्य पत्रक

हम आपको इसके बारे में नहीं बता सकते:

- किसी भी नए आरोप या सज़ा से संबंधित जानकारी जो आपसे संबंधित नहीं है।
- अपराधी का चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक इतिहास।
- हिरासत से रिहा होने के बाद अपराधी का स्थान।
- सुधार केन्द्रों या चिकित्सा सुविधा के बीच नियमित स्थानान्तरण।
- अपराधी से संबंधित आप्रवास मामले।

मेरा पंजीकरण कब तक रहेगा?

आपका पंजीकरण तब तक सक्रिय रहेगा जब तक कि अपराधी आपके खिलाफ़ अपराध के लिए अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता/ लेती।

आपका पंजीकरण बंद हो सकता है यदि:

- आप हमें पत्र लिखकर अपना पंजीकरण बंद करने के लिए कहते/ कहती हैं।
- अपराधी की मृत्यु हो जाती है।
- अपराधी को अंतरराज्यीय या विदेश में स्थानांतरित किया जाता है।
- आपके खिलाफ़ अपराधी की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया है।
- आप सार्वजनिक प्रसार के लिए विक्टिम्स रजिस्टर द्वारा आपको जारी की गई किसी भी जानकारी को प्रकट करते/ करती हैं।

मैं विक्टिम्स रजिस्टर में शामिल होने के लिए कैसे आवेदन करूँ?

ऑनलाइन: ऑनलाइन पंजीकरण फ़ार्म को पूरा करें।

फ़ोन पर: हमें कॉल करें और हम फ़ोन पर आपके साथ आवेदन पूरा करेंगे।

यदि आपको किसी अन्य भाषा में सहायता की आवश्यकता है, तो निःशुल्क अनुवाद और दुभाषिया सेवा (13 14 50) को कॉल करें और उन्हें 02 8688 6833 पर CSNSW विक्टिम्स रजिस्टर को कॉल करने के लिए कहें।

फिर हम दुभाषिए की मदद से फ़ोन पर आपके साथ आवेदन पूरा करेंगे। ।

मेरे द्वारा आवेदन करने के बा द क्या होता है?

हम आपके आवेदन को प्राप्त होने के 10 व्यावसायिक दिनों केभीतर उस पर प्रक्रिया करने का लक्ष्य रखेंगे। हम आपकी जानकारी को सत्यापित करने केलिए अन्य एजेंसियों से संपर्ककर सकते हैं या यदि आवश्यक हो तो अधिक जानकारी के लिए आपसे संपर्ककर सकते हैं।

एक बार आपकी पंजीकरण प्रक्रिया हो जाए तो उसकेबाद, हम आपको बताएँगे कि क्या आप पंजीकृत हो गए/ गई हैं या यदि आप इसकेलिए पात्र नहीं हैं। यदि आप पंजीकृत हैं, तो हम आपको अपराधी केबारे में जानकारी देंगे।

अगर आप पात्र नहीं हैं, तो हम आपको बताएँगे और आपको अन्य सेवाओं केबारे में जानकारी देंगे जो आपकी मदद कर सकती हैं।

संपर्ककरें

हमारे कर्मचारी आपको हमारी सेवा और इस कठिन समय में हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं केबारे में सब कुछ बताएँगे ।

हमारे व्यावसायिक घंटों केदौरान हमसे संपर्ककरें: सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक छु ट्टियों को छोड़कर।

वक र्ज रजि रज

ोन: (02) 8688 0555

ईलि: victims.register@dcj.nsw.gov.au

डाक: **Locked Bag 5111**
Parramatta NSW 2124

विक्टिम्स रजिस्टर क्राईम्स *(दंडादेश क्रियान्वयन) अधिनियम 1999* की धारा 279 के अनुसार कार्य करता है।